प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'उनसठ'

[28/7/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 2806] परिशिष्ट 'क'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2678] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 2014/पौष 9, 1936

No. 2678] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 2014/PAUSA 9, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3317(अ).—जबकि केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, की अधिसूचना सं. का.आ. 275(अ), तारीख 14 फरवरी, 2012 के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 को मध्य प्रदेश राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है।

और जबकि, मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित रीवा से मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 के विकास के लिए 30 सितम्बर, 2009 को केन्द्रीय सरकार और मध्य प्रदेश राज्य सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

और जबकि, मध्य प्रदेश राज्य सरकार की ओर से कार्यान्वयन प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार आदेश सं.5593/6502/19/यो./2011 दिनांक 18.10.2011 के तहत मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लि., भोपाल (जो इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में उल्लिखित है) को अधिकृत किया था।

और जबकि, प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश राज्य में डिजाइन, निर्माण, वित्तपोषण, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 के किमी 229/100 से किमी 140/600 [डिजाइन लंबाई किमी 89.23] तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं.7 के रीवा से मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा खंड (जो इसके आगे "कथित खंड" के रूप में उल्लिखित है) के विकास एवं प्रचालन के लिए दिनांक 02.09.2011 को प्रस्तुत निविदा के लिए मै. विन्ध्याचल एक्सप्रैसवे प्रा.लि. जिसका पंजीकृत कार्यालय ए-104, शपथ-4, कर्णावती क्लब के सामने, एस.जी. रोड, अहमदाबाद, पिन-380051, है (जो इसके आगे "रियायतग्राही" के रूप में उल्लिखित है) के साथ 25.01.2012 को एक करार (जो इसके आगे "करार" के रूप में उल्लिखित है), किया है।

अतः अब, बोली प्राप्ति की तारीख तक यथा-संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित (जो इसके आगे "नियम" के रूप में उल्लिखित है) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, कथित खंड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन में निहित व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, यथोचित प्रतिलाभ, यातायात की मात्रा तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच संपन्न करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि कथित खंड का प्रयोग करने के लिए यांत्रिक वाहन पर 61.33 किमी की लंबाई वाले निम्न सड़क खंड के लिए 4 और अधिक लेन वाले खंडों के प्रयोग हेतु तालिका-1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें

इसके पश्चात् "आधार दर" कहा गया है) तथा नीचे तालिका-1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों की किस्मों पर 27.90 किमी कुल डिजाइन लंबाई वाले 6 बाईपासों के लिए आधार दर के डेढ़ गुना दर से शुल्क प्रभारित और संग्रहीत किया जाएगा, और उक्त रियायतग्राही को, प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) की तारीख से और यथा-स्थिति प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर अथवा सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर करार में यथा-विनिर्दिष्ट करार समापन की तारीख तक, इसमें से जो भी बाद में हो, शुल्क का संग्रहण करने और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है.

तालिका-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए फीस की प्रति किमी आधार दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (4 से 6 धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (7 या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संग्रहीत फीस पथकर प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं में देय और भुगतान योग्य होगी:-

पथकर प्लाजा (चैनेज) की अवस्थिति	लंबाई (किमी) जिसके लिए फीस संदेय है।	दर, जिस पर फीस संदेय है।
रारा-7 पर विद्यमान चैनेज किमी 216.600 (डिजाइन चैनेज किमी 216.545) (रीवा जिले में जोगिनहाइ गांव के निकट)	34.17	आधार दर का 100%
रारा-7 पर विद्यमान चैनेज किमी 147.600 (डिजाइन चैनेज किमी 148.100) (रीवा जिले में मसुरिहा गांव के निकट)	27.16	आधार दर का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं पर, निम्नलिखित बाइपासों का प्रयोग करने के लिए, जिसकी लागत इसके अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, निम्नलिखित फीस भी देय और भुगतान योग्य होगी:-

पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	बाइपास का नाम और लंबाई (किमी) जिसके लिए अतिरिक्त फीस का भुगतान किया जाएगा	बाइपास/संरेखण की लागत (करोड़ रु.)	भुगतान योग्य फीस दर
रारा-7 पर विद्यमान चैनेज किमी 216.600 (डिजाइन चैनेज किमी 216.545) (रीवा जिले में जोगिनहाइ गांव के निकट)	4.16 किमी लंबा रायपुर बाइपास जो किमी 229.600 [डिजाइन चैनेज 0.000] से प्रारंभ होकर किमी 218.700 [डिजाइन चैनेज 218.440] पर विलय होगा।	16.99	उक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दर का 150%
	4.20 किमी लंबा मांगवान बाइपास जो किमी 208.300 [डिजाइन चैनेज 207.960] से प्रारंभ होकर किमी 204.100 [डिजाइन चैनेज 203.760] पर विलय होगा।	17.15	उक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दर का 150%
	3.68 किमी लंबा रघुनाथगंज बाइपास जो किमी 197.400 [डिजाइन चैनेज 197.100] से प्रारंभ होकर किमी 193.700 [डिजाइन चैनेज 193.420] पर विलय होगा।	15.03	उक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दर का 150%
	3.42 किमी लंबा लौर और देवतालाब बाइपास	13.97	उक्त तालिका-1 में

	जो किमी 189.600 [डिजाइन चैनेज 189.360] से प्रारंभ होकर किमी 186.200 [डिजाइन चैनेज 185.940] पर विलय होगा।		उल्लिखित आधार दर का 150%
रारा-7 पर विद्यमान चैनेज किमी 147.600 (डिजाइन चैनेज 148.100) (रीवा जिले में मसुरिहा गांव के निकट)	6.60 किमी लंबा मऊगंज बाइपास जो किमी 174.700 [डिजाइन चैनेज 174.300] से प्रारंभ होकर किमी 168.100 [डिजाइन चैनेज 167.700] पर विलय होगा।	26.96	उक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दर का 150%
	5.84 किमी लंबा हनुमन्ना बाइपास जो किमी 147.900 [डिजाइन चैनेज 147.540] से प्रारंभ होकर किमी 142.100 [डिजाइन चैनेज 141.700] पर विलय होगा।	23.85	उक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दर का 150%

3. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से 20 किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2014-15 के लिए 225.00 रु. (दो सौ पच्चीस रुपए मात्र) है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक वर्ष संशोधन के अध्यधीन है।

4. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

भुगतान योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से 24 घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए भुगतान योग्य फीस की राशि का दो तिहाई	पचास या अधिक	भुगतान की तारीख से एक महीना

5. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

6. किसी श्रेणी विशेष के लिए विनिर्दिष्ट अनुमत्य भार से अधिक भार वाले यांत्रिक वाहन के चालक अथवा स्वामी अथवा प्रभारी व्यक्ति को राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए पथकर संग्रहण एजेंसी को उस श्रेणी के यांत्रिक वाहनों के लिए लागू फीस की 10 गुना के बराबर फीस का भुगतान करना होगा और इस यांत्रिक वाहन से अतिभार को उतारे बिना वह उस राजमार्ग खंड का इस्तेमाल करने का हकदार नहीं होगा।

7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुमत्य भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि कथित नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

8. फीस की दरें कथित नियमावली के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।

9. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि तालिका-1 में यथा-संशोधित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहन से प्रभारित की जाने वाली वास्तविक राशि और छूट का आकलन प्राधिकरण द्वारा राजमार्ग परियोजना की लंबाई के पूरे हुए भाग के आधार पर किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा इसे रियायतग्राही के माध्यम से प्रत्येक अंग्रेजी और देशी भाषा में कम से कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाएगा और तत्पश्चात् कथित नियमों के नियम 5 और रियायत करार के उपबंध के अनुसरण में वार्षिक रूप से संशोधित कराया और प्रकाशित कराया जाएगा बशर्ते कि फीस के पूर्ववर्ती संशोधन की तारीख से 6 महीनों की अवधि के भीतर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-37016/5/2014-एनएचडीपी-IVए]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव